न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-1005/2026

कंचन पाण्डेय पत्नी अमलेश पाण्डेय, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासिनी-गेरुआ बाबु, भैरो खुर्द, थाना-बांसगांव, जनपद-गोरखपुर। हालमुकाम-ब्लाक सं०-35 क्वाटर सं०-303, वसुन्धरा इन्क्लेव, तारामण्डल, रामगढ़ताल, गोरखपुर। **............आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....................विपक्षी**

सत्रवाद सं०-1993/2022
मु०अ०सं०-563/2020
धारा-135 विद्युत अधिनियम, 2003
थाना-एंटी पावर थेफ्ट गोरखपुर, जिला-गोरखपुर।

आवेदिका/अभियुक्ता कंचन पाण्डेय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियोजन कथनाक के अनुसार दिनांक 12.09.2020 को वादी मुकदमा प्रभारी निर्भय नारायण सिंह द्वारा प्रवर्तन दल गोरखपुर टीम के साथ अभियुक्ता के आवास/परिसर का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभियुक्ता द्वारा एल०टी० पैनल में दो सिंगल वायर जोड़कर बिना ऊर्जा मीटर व बिना विद्युत कनेक्शन समायोजन कराये अवैध रूप से विद्युत चोरी करते हुए पाया गया।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों के अनुरूप यह कथन किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता निर्दोष है उसे फर्जी फंसाया गया है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता के द्वारा बिजली चोरी नहीं की गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता 50 वर्षीय घरेलू महिला है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा समय-समय पर बिजला का बिल अदा किया जाता है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता पर विद्युत चोरी का अभियोग लगाया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता पर अधिरोपित अपराध 7 वर्ष से कम सजा से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर विचार व्यक्त किये बिना आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता कंचन पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1005/2026 मु० 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदिका/अभियुक्ता घटना से अवगत साक्षियों को डरायेगी, धमकायेगी नहीं तथा मामले के विचारण में सहयोग करेगी।

2. विचारण के दौरान आवेदिका/अभियुक्ता प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगी तथा मामले के विचार में विलंब कारित नहीं करेगी।

3. विचारण के दौरान साक्षियों के उपस्थित होने पर आवेदिका/अभियुक्ता अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले को विलंबित नहीं करेगी।

4. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अभियोजन पक्ष/सूचनादाता आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक-10.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.03.11 10:08:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court